भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी. रोड, डाक थैला सं 5607
तिरुवनन्तपुरम-695 001

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, P.B. NO. 5607
THIRUVANANTHAPURAM-695 001

सं / No.............................   दिनांक / Date:............................

P19/II/DRSSA-203/CG/2018-19   18 /03/2019

To

All District/ Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Revision of pension / family pension of government servants of Chhattisgarh State retired or deceased on or after 01/01/2016.

Ref: 1. SSA No. PA/R-2/3293 dated: 02/01/2019 of the office of the Accountant General (A&E) Chhattisgarh, Raipur.
2.Letter No. 454/F-2017-04-003685/Finance/Rules/IV dated: 06/11/2017 of the Finance Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur, Government of Chhattisgarh.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Chhattisgarh regarding revision of pension/family pension of post 01/01/2016 retired /deceased government servants of Chhattisgarh State. The same is being placed in the official website of the office **(www.agker.cag.gov.in)** under the link "***Treasury endorsement of orders for other state pensioners"*** . A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

18/3/19

Accounts Officer

Copy to:-

1.The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

दूरभाष / Telephone: 0471-2330311   फैक्स / Fax: 0471-2330242   तार / Grams: ACCOUNTS TRIVANDRUM
ई-मेल / E-mail : agaekerala@bsnl.in   Website : http://www.agker.cag.gov.in

P19

P19/II/DRSSA/203
11/01/2019

393378
9/1/19

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) छत्तीसगढ़
ज़ीरो प्वाइंट,बलौदा बाज़ार रोड,रायपुर

दूरभाष क्रमांक:0771-2285955 फ़ैक्स क्रमांक:0771-2282607

क्रमांक:पी.ए./आर-2/ 3293 दिनांक: 02/01/2019

विशेष मुद्रा प्राधिकार के अंतर्गत

प्रति,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
केरला,पो.बा. नं-5607,एम.जी. रोड,
तिरुवनन्थपुरम-695001

विषय: - दिनांक 01.01.2016 को अथवा पश्चात सेवा निवृत/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण के संबंध में।

संदर्भ:- आपके द्वारा प्रेषित फैक्स क्रमांक पी-19/11/DRSSA/135/फ़ैक्स/2018-19, दिनाँक- 17.12.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि उक्त फैक्स के माध्यम से चाही गई आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(छ.ग. शासन,वित्त विभाग,महानदी भवन,नया रायपुर,वित्त निर्देश-52/2017)

लेखा अधिकारी/पी.ए.

वित्त निर्देश 52/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 454/एफ 2017–04–03685/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 6.11.2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–दिनांक 01.01.2016 को अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण

राज्य शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016–04–03303 / वित्त / नियम/चार, दिनांक 19 मई, 2017 द्वारा शासकीय सेवकों के वेतन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से किया गया है।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2016 को अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों की पेंशन/परिवार पेंशन हितलाभों का निम्नानुसार पुनरीक्षण किया जाए :–

क. पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन सांराशिकरण, अवकाश नगदीकरण का निर्धारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में किया जाए।

ख. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख की जाती है।

ग. पेंशन एवं परिवार पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि रूपये 7750/– (वृद्धों को प्राप्त अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) की जाती है। पेंशन/परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अधिकतम वेतन का क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत किया जाता है।

3. पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की राशि का भुगतान पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान को समायोजित करते हुए किया जाएगा।

4. उपर्युक्त पैरा 2 (ख) एवं (ग) के लिये सुसंगत नियमों में संशोधन पृथक से किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 6/11/2017
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 455 / एफ 2017–04–03685 / वि / नि / चार नया रायपुर, दिनांक 6.11.2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

6.11.17

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ACCOUNTS & ENTITLEMENT)
CHATTISGARH, ZERO POINT, BALAUDA BAZAAR ROAD, RAIPUR

Phone No: 0771-2285955 **Fax No. : 0771-2282607**

No. : PA/R-2/3293 **Dated 02.01.2019**

Under Special Seal Authority

To

The Sr Accounts Officer/ Pension
O/o the Accountant General (Accounts & Entitlement)
Kerala, P.B. No. 5607
M.G Road, Thiruvananthapuram- 695001.

Sub :- Revision of pension/family pension of government servants retired/deceased on or after 01.01.2016.

Ref :- Fax no. P-19/11/DRSSA/135/Fax/2018-19 dated 17.12.2018 forwarded by you.

Sir,

In continuation to the above subject and reference, it is stated that copy of the order sought for through the above fax is sent enclosed herewith to you for necessary action.

Kindly, acknowledge its receipt.

Encl: As above.

(Govt of Chhattisgarh, Department of Finance, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur, Finance Directive-52/2017)

Sd/-
Accounts Officer/PA